रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062023-246896
CG-DL-E-30062023-246896

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945
No. 380] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2023

सं. 40/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 469(अ).—जहां कि, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2711 19 10 , 2711 19 20 और 2711 19 90 के अंतर्गत आने वाले लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस पर लगने वाले आयात शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि इसके लिए तत्काल कार्यवाही किए जाने की जरूरत है।

अत: अब, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा, निर्देश देती है कि उक्त टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाए, अर्थात् :-

उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, अध्याय 27 में टैरिफ मदों 2711 19 10, 2711 19 20 और 2711 19 90 के समक्ष कॉलम (4) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि ''15%'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

[फा.सं. 349/01/2023-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

No. 40/2023-Customs

G.S.R. 469(E).—WHEREAS, the Central Government on being satisfied that the import duty leviable on Liquified Petroleum Gas falling under tariff items 2711 19 10, 2711 19 20 and 2711 19 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8A of the said Customs Tariff Act, the Central Government, hereby directs that the First Schedule to the said Customs Tariff Act, shall be amended in the following manner, namely:-

In the First Schedule to the said Customs Tariff Act, in Chapter 27, for the entry in column (4) occurring against tariff items 2711 19 10, 2711 19 20 and 2711 19 90, the entry "15%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2023.

[F. No. 349/01/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2023

सं. 41/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 470(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 155 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"155A.	27111910, 27111920, 27111990	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	5%	-	-".

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 349/01/2023-टीआरयू]

अमृता टाइटस, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना 50/2017- सीमा शुल्क, तारीख 30जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. सं. 785(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना 35/2023- सीमा शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 2023 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. सं. 331 (अ) तारीख 1 मई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

No. 41/2023-Customs

G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30thJune, 2017, namely:-

In the said notification, -

I. in the Table, after S. No. 155 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“155A.	27111910, 27111920, 27111990	Liquified Petroleum Gas (LPG)	5%	-	-”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2023.

[F. No. 349/01/2023-TRU]

AMREETA TITUS. Under Secy.

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30thJune, 2017and was last amended *vide* notification No. 35/2023-Customs, dated the 29th April, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.331 (E), dated the 1st May, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जून, 2023

सं. 42/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 471(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ ठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 11/2021 सीमा-शुल्क, तारीख 01 फरवरी, 2021 जो संख्यांक सा.का.नि. 69(अ), तारीख 01 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“10ख.	27111910, 27111920, 27111990	सभी माल	15%”;

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 349/01/2023-टीआरयू]

अमृता टाइटस, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, संख्यांक 11/2021-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2021 संख्यांक सा.का.नि. 69(अ), तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 03/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फ़रवरी, 2023 द्वारा अंतिमबार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 68(अ), तारीख 1 फ़रवरी, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

No. 42/2023-Customs

G.S.R. 471(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021, namely :-

In the said notification, in the TABLE, after Sl. No. 10, and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"10B.	27111910, 27111920, 27111990	All goods	15%".

2. This notification shall come into effect on the 1st day of July, 2023.

[F. No. 349/01/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 11/2021-Customs, dated the 1stFebruary, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1stFebruary, 2021 and last amended *vide* notification No. 03/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 68(E), dated the 1st February, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA